लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 का रायपुर से धमतरी तक टूलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 2-lane with paved shoulders configuration of Raipur-Dhamtari section on NH-43 in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु धमतरी जिले के खंड के लिये दिनांक 19.01.2012 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 का रायपुर से धमतरी तक टूलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 2-lane with paved shoulders configuration of Raipur-Dhamtari section on NH-43 in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 19.01.2012 दिन गुरूवार को प्रातः 11:00 बजे नया कृषि उपज मंडी श्यामतराई, जिला धमतरी में सुनवाई नियत की गई थी।

दिनांक 19.01.2012 को परियोजना की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला धमतरी श्री आर.के. टण्डन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान सुश्री तुलिका प्रजापति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी, श्री नवीन ठाकुर तहसीलदार धमतरी, श्री रूपेश वर्मा तहसीलदार कुरूद, श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी, श्री एस. चौधरी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा श्री लेखराम साहू मान्नीय विधायक कुरूद, धमतरी, कुरूद, छाती आदि नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लगभग 400 जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

3. अपर कलेक्टर धमतरी ने कहा कि आज की लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की गयी है, न कि भूमि अधिग्रहण के लिए उन्होंने कहा कि लोक सुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी, जनता से प्राप्त सुझाव तथा कार्यवाही सार को भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। परियोजना से संबंधित आपके जो भी मत है, जो भी आपत्तियां है या इससे संबंधित विचार है उसको आप यहां पर दर्ज करा सकते है। उन्होने बताया कि इस परियोजना के बारे में एन.एच.ए. आई. के अधिकारी प्रस्तुतीकरण देंगे। उनके द्वारा संपूर्ण परियोजना का विस्तृत

विवरण दिया जावेगा।

तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक श्री एस. चौधरी ने बताया कि सड़क विकास के लिये महत्वपूर्ण है। इस राजमार्ग में यातायात बढ़ता जा रहा है, अतः मार्ग का उन्नयन आवश्यक है। मार्ग के उन्नयन से दुर्घटनाओं में कमी होगी, मार्ग के वर्तमान कर्व ठीक किये जायेंगे। रायपुर से 10 कि.मी. तक फोरलेन तथा शेष टूलेन होगी। राजमार्ग के उन्नयन में फुट ओवरब्रिज, बाईपास, रिएलाईनमेंट आदि का प्रावधान है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से धूलकणों की मात्रा में कमी होगी। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक के परामर्शी मे0 आई.सी.टी. प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के महाप्रबंधक (पर्यावरण) श्री पवन मल्लिक द्वारा परियोजना के संबंध में बताया गया कि प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई 79.25 कि.मी. होगी। परियोजना में 01 बाईपास, 01 पुर्नसंरेखण, 25 पुल, 69 पुलिया, 02 पैदल यात्री पुल, 28 बस पड़ाव तथा 02 टोल प्लाजा का प्रावधान है। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क उन्नयन हेतु 217.616 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, साथ ही 1014 संरचनाओं के प्रभावित होने की संभावना है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान 13,248 वृक्ष काटे जायेंगे। उक्त में से धमतरी जिले में प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई 50 कि.मी. होगी, जिसमें धमतरी बाईपास की कुल लंबाई 11.15 कि.मी. होगी, साथ ही धमतरी जिले में नये 04 छोटे पुल, 11 पुलिया, 02 वेहीकुलर अंडरपास तथा 16 बस पड़ाव का प्रावधान है। धमतरी जिले में सड़क उन्नयन हेतु 139.4 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, साथ ही सड़क निर्माण के दौरान 6876 वृक्ष काटे जायेंगे। धमतरी जिले में एक टोल प्लाजा प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि धमतरी जिले के खण्ड में 22 तालाब है, पूरे परियोजना में रायपुर खण्ड को मिलाकर 37 तालाब है। सड़क निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा, सड़क परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान संभावित कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिस हेतु 6.5 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है। पुनर्उत्थान तथा पुनर्वास हेतु 244.44 करोड़ रूपये का प्रावधान है। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण का कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप होगा व प्रस्तावित सड़क परियोजना में प्रस्तावित अधिकार क्षेत्र 45 मीटर होगा। प्रस्तावित बाईपास मार्ग हेतु 60 मीटर का अधिकार क्षेत्र आरक्षित किया जावेगा। उन्होने बताया कि इस सड़क के 15 कि.मी. के क्षेत्र में कोई भी चिन्हित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, वन्यप्राणी अभ्यारण्य आदि स्थिति नहीं है। यद्यपि सुरक्षित/संरक्षित वन, महानदी एवं गंगरेल बांध जैसे संवेदनशील क्षेत्र 15 कि.मी. के अंतर्गत स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के आस–पास वायु, जल, भूमिगत जल, मृदा एवं ध्वनि के लिये गये नमूनों में गुणवत्ता मानक सीमा के निकट या नीचे पाई गई है। सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा, संवेदनशील स्थलों पर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाये जायेंगे। ज्वांईट मेजरमेंट में सबकुछ स्पष्ट हो जायेगा कि, रोड कहां से जायेगी और किसकी जमीन जा रही है।

अपर कलेक्टर धमतरी श्री आर.के. टण्डन ने कहा कि पर्यावरण के संबंध में आप लोगों को जो भी शंकायें हैं, उन्हे आप व्यक्त कर सकते हैं। आपके द्वारा व्यक्त किये गये मौखिक अथवा लिखित विचारों को मूलतः कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा, जिससे भारत

सरकार आपके विचारों को जान सके। इस कार्यवाही विवरण की एक प्रति आपको भी दी जावेगी।

4. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :—

1 श्री लेखराम साहू, मान्नीय विधायक कुरूद ने कहा कि—प्रस्तावित सड़क के चौड़ीकरण हेतु एक ओर 17 मीटर तथा दूसरी ओर 27 मीटर चौड़ाई रखी गई है, सड़क के दोनों ओर अलग—अलग चौड़ाई रखा जाना गलत है। उन्होंने कहा कि भारत में अन्य परियोजनाओं में सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण एक जैसा ही किया जाता है तथा रोड के दोनों ओर बराबर जमीन का अधिग्रहण करें। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में प्रभावित व्यक्तियों को नई राजधानी में जमीन के बदले जमीन तथा मकान के बदले मकान दिये जाने की मांग की। जमीन के बदले दी जाने वाली जमीन रोड के किनारे दी जाये। उन्होंने कहा कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण में नीम के वृक्ष लगाये जाये, जिससे वातावरण शुद्ध रहें।

2 श्री विजय खंडेलवाल भांठागांव, कुरूद ने कहा कि—राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास होना चाहिये। विकास परियोजनाओं में हमेशा किसान प्रभावित होते है। उन्होंने प्रस्तावित परियोजना के सर्वे के लिए 16 करोड़ रूपये भुगतान करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने 40 साल पहले जमीन ली जिसका अधिग्रहण प्रस्तावित है। उन्होंने विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन तथा घर के बदले घर देने की मांग की तथा कहा कि प्रभावितों को नया रायपुर में जमीन दें। उन्होंने कहा कि परामर्शी आई.सी.टी. ने कार्यकारी सारांश 16.08.11 को प्रकाशित किया था। रिपोर्ट में 2 लेन फिर 4 लेन चौड़ीकरण की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कितने लोग Row, Right of way के बारे में समझते है। रिपोर्ट में 13238 वृक्षों को काटने की बात कही गयी है, लेकिन सड़क के बायें तथा दायें तरफ वृक्षों के संख्या तथा उनके प्रजाति की जानकारी नही दी गयी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 3 करोड़ में डी.पी.आर. तैयार कर दी जाएगी। उन्होने कहा कि रिपोर्ट बाहर के कंसलटेंट से बनवाई गई है, यदि स्थानीय लोगों से संपर्क किया जाता तो रिपोर्ट भी अच्छी बनती और पैसा यहॉ के लोगों को मिलता। उन्होंने जानना चाहा कि धमतरी जिले में जल गुणवत्ता की जॉच किस प्रयोगशाला में करायी गयी ? जांच में किन रसायन का प्रयोग किया गया, जल जांच में किस यंत्र/किट का प्रयोग किया गया ? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के इंजीनियरों को डी.पी.आर. बनाने का काम दिया जाए। इस हेतु 16 करोड़ दिल्ली की कंपनी को क्यों दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल रिपोर्ट बनाने में जन प्रतिनिधियों से सलाह क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 217 हेक्टेयर अथवा 700 एकड़ जमीन जायेगी, फसल का नुकसान होगा। उन्होने जानना चाहा कि, क्या सर्वे के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों में बैठक ली गई है ? आम जनता को यह सर्वे मंजुर नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बजट में 6.58 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। कार्यकारी सारांश में सिर्फ रायपुर, अभनपुर खण्ड की चर्चा है। यह रिपोर्ट रायपुर से अभनपुर के लिये बनाई गई है। Right of way का विवाद एन.एच.ए.आई. तथा आर.डी.ए. के बीच है। रायपुर से अभनपुर खण्ड में 6 हित ग्राहक विमर्श 4 दिनों

में किये गये है। कुरूद में ग्रामसभा क्यों नहीं की गई, यहॉ के विधायक से संपर्क क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चित्र संख्या 7.5 में छाती गॉव में ग्रामीणों के साथ विमर्श करते दिखाया गया है, जबकि यह नहीं हुआ है। कंडिका 5.1 में परियोजना के साथ अथवा नहीं अध्याय में 14 सकारात्मक पहलू दिखाए गए है जबकि सड़क नहीं बनने से एक भी घाटा (नकारात्मक) पहलू नहीं दिखाया गया है। डी.पी.आर. रिपोर्ट में धमतरी भखारा होते हुये रायपुर रोड का जिक्र नहीं किया गया है। इस सड़क की लम्बाई कम है। दोनों सड़कों का बुरा हाल है। वर्तमान सड़कों को ही चौड़ा किया जाए। अभी सड़क जर्जर स्थिति में है, जिसकी मरम्मत जरूरत है। यातायात लागत अध्याय में 14 बिन्दु बताए गए है, यह भी बताया गया है कि सड़क बनने से उद्योगों को फायदा होगा, जबकि रायपुर, धमतरी रोड पर एक भी उद्योग नहीं है और न ही रायपुर धमतरी के मध्य कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित है। उन्होने जानना चाहा कि बारनवापारा तथा उदंती अभ्यारणों का एन.एच. 43 से क्या संबंध है। वर्तमान में रायपुर धमतरी बस्तर मार्ग पर जनता का आवागमन का एक मात्र साधन यात्री बसे हैं, भविष्य में रेल यातायात सुविधा मिलने पर जनता रेल से आवागमन को प्राथमिकता देगी, उस स्थिति में रायपुर धमतरी मार्ग पर बसों का आवागमन वर्तमान की तुलना में मात्र 20 से 30 प्रतिशत ही रहेगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। भू–गर्भ जल संसाधन में 2008 को आंकड़ा दिखा गया है। धमतरी में 31 प्रतिशत भूमिगत जल का विकास दिखाया गया है। कुरूद में जल प्रबंधन जरूरी है। कुरूद में जल प्रबंधन कैसे किया जाएगा ? सड़क का सर्वे दुबारा किया जाए। वर्तमान सर्वे गलत है। अभी रायपुर, धमतरी के बीच उद्योग नहीं है, उद्योगों को विकसित होने में 10 वर्ष लगेंगे। रिपोर्ट में 14 राईस मिलों को उद्योग की श्रेणी में दिखाया गया है, जबकि चांवल मिल लघु उद्योगों में आते है। सड़क निर्माण से जैव विविधता का विकास कैसे होगा ? सड़क के लिए किसानों की जमीन से मिट्टी ली जाएगी। यह किसानों के साथ अन्याय है। मिट्टी में आत्मा बसती है। जन सुनवाई के लिए 40 कि.मी. दूर बुलाया गया है, यह सही नहीं है। रूपये 16 करोड़ का भुगतान कंसलटेन्ट को किया गया है यह बहुत अधिक राशि है। सिविल कार्य हेतु रूपये 3.43 करोड़ प्रति कि.मी. का आंकलन किया गया है। इसमें रूपये 273.1 करोड़ तथा भू–अर्जन पुर्नवास के लिये रूपये 114 करोड़ का लेख किया गया है। पर्यावरण के लिए रूपये 6.58 करोड़ का प्रावधान है। एजेन्सी के लिए रूपये 16.38 करोड़ की व्यवस्था है। सरकार यदि राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करे तो कम से कम 400 करोड़ की बचत होगी। धमतरी तक के रोड के लिये जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया जबकि अभनपुर के लिये ऐसा किया गया है। सुनवाई का आयोजन हर 10 कि.मी. पर होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के बदले 8 गुणा मुआवजा दिया जाना चाहिए, तब ग्रामीण स्वतः अपनी जमीन दे देंगे। कार्यकारी सारांश में ट्रैफिक दबाव दिखाया गया है जबकि ऐसा नहीं है। कुरूद में सड़क के केवल दाहिने तरफ चौड़ीकरण क्यों हो रहा है ? सड़क में यातायात की कोई समस्या नहीं है। दुर्घटना नहीं होती है। यदि दोनों वर्तमान सड़कों को सुधार दिया जाता है, तो अगले 10 वर्षों तक सड़क चौड़ीकरण की जरूरत नहीं होगी। उन्होने पूछा कि सड़क के दांयी एवं बांयी भाग में किस–किस भू–स्वामी की कितनी–कितनी जमीन जा रही है ?

जब सुनवाई की सूचना दी गई थी, तब भू–स्वामी का नाम भी बताना चाहिये था।

3 श्री एस.चौधरी, परियोजना निर्देशक, एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–लोक सुनवाई के संबंधित प्रकाशन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाता है।

4 श्री आर.के. टंडन, अपर कलेक्टर ने कहा कि–भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकाशन एस.डी.ओ. सिविल द्वारा किया जाता है।

5 श्री विजय खंडेलवाल, भट्टागांव, कुरूद ने कहा कि–कंसलटेंट के परियोजना विशेषज्ञ ने ठीक से काम नहीं किया है। हितधारक विचार विमर्श ठीक तरीके से नहीं किया गया है। परियोजना का कियानवयन सकारात्मक होना चाहिये। चौड़ीकरण में दांई एवं बांई भाग में समान रूप से चौड़ीकरण होना चाहिये। चौड़ीकरण में पक्षपात नहीं होना चाहिये। सड़क के बांई ओर ज्यादा पड़ती जमीन उपलब्ध है। सर्वे गलत हुआ है। यह हमें मान्य नहीं है। जनता एवं एन.एच.ए.आई. में तालमेल विकसित करना होगा।

6 श्री लक्ष्मी कान्त द्विवेदी, कुरूद ने कहा कि–उन्हे सड़क चौड़ीकरण पर आपत्ति है। कोडापार से छाती तक में हितधारक विमर्श नहीं किया गया है। भूमि स्वामियों एवं जनप्रतिनिधियों से जनसंपर्क नहीं किया गया है। सर्वे रिपोर्ट गलत है। प्रकाशन में भूमि स्वामियों का उल्लेख नहीं है। प्रकाशित खसरा नं. एवं वास्तविक खसरा में फर्क है। रायपुर से धमतरी खण्ड में चौड़ीकरण हेतु 4 लेन/2 लेन विज्ञप्ति की गई है, जिससे ग्रामीण भ्रमित है। सर्वे टीम ने कुरूद से कोडापार तक सर्वे कब किया ? रिपोर्ट में सड़क के बायें तथा दायें तरफ वृक्ष की सूची नहीं दी गयी है। रिपोर्ट में परिपक्वता तथा पेड़ की मोटाई की जानकारी नहीं दी गयी है। सर्वे रिपोर्ट गलत है। इसे रद्द करें। पूर्व दिशा में ज्यादा तालाब है। फिर भी पूर्व में चौड़ीकरण प्रस्तावित है। तालाबों को पाटा जा रहा है। उपजाऊ एवं पड़ती जमीन का उल्लेख नहीं है। 27.5 मीटर तथा 17.5 मीटर चौड़ीकरण में भेदभाव किया जा रहा है। चौड़ीकरण की योजना ठीक नहीं है। कुरूद के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ग्रामीण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से अवगत नहीं है। कोडापर, भाटागॉव, डांडेसर, दरबा के छोटे–छोटे लोगों के व्यवस्थापन का उल्लेख नहीं है। सड़क के दोनों तरफ बराबर चौड़ीकरण किया जाना चाहिए।

7 श्री विष्णु, ग्राम मरोद ने कहा कि–मेरा आठ लोगों का परिवार है। मेरी जमीन जा रही है। मैं कहां जाऊं ? मेरे लिये जगह होनी चाहिये।

8 श्री हरीश चन्द्र पटेल, ग्राम मरोद ने कहा कि–सड़क के दोनों ओर समान रूप से चौड़ीकरण होनी चाहिए। मेरी जमीन जायेगी, उसके बदले जमीन दें।

9 श्री श्रीकांत चन्द्राकर, ग्राम चरमुड़िया ने कहा कि–विकास को देखते हुये चौड़ीकरण का प्रस्ताव अच्छा है। उन्होने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना 4 लेन के लिये है कि 2 लेन के लिये ? उन्होने कहा कि सड़क के दोनों तरफ रोड बनाया जा सकता है। नक्शे में मोड़ो (कर्व) को सीधा करने का प्रयास नहीं किया गया है, सिर्फ एक तरफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व दिशा में

अवैध कब्जे है, जबकि पश्चिम दिशा की ज्यादा जमीन ली जा रही है। एक तरफ के मकान तोड़े जा रहें है, दूसरी तरफ अवैध कब्जा है। उन्होने कहा कि सड़क के दोनों तरफ बराबर जमीन लें। एक तरफ (दाया तरफ) चौड़ीकरण ठीक नहीं है।

10 श्री हीरा सिंह साहू, ग्राम मुजगहन ने कहा कि–सड़क के किनारे उनका एक मकान है। भूमि डायवर्टेड है। यहॉ एक ट्यूबवेल लगा है। परिसर में फलदार वृक्ष भी लगे है। वे एक शिक्षक है तथा उनकी उम्र 60 वर्ष है। आय का अन्य को साधन नहीं है। उनका मकान राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित हो रहा है। उन्होनें कहा कि, मकान चले जाने से इस बुढ़ापे में वे क्या कर पायेंगें। उन्होनें कहा कि उनके घर को बचाया जाये।

11 श्री सोम प्रकाश गिरी, पूर्व विधायक कुरूद, ग्राम मरोद ने कहा कि–सर्वे के नाम पर जो रूपये 16 करोड़ खर्च किया गया है, जो व्यर्थ है। उन्होनें कहा कि चौड़ीकरण में रोड के सेंटर से दोनों ओर बराबर भूमि अधिग्रहण करने पर कम नुकसान होगा। नहीं तो एक तरफा ज्यादा नुकसान होगा। कई व्यक्ति परिवार बरबाद हो जायेंगे। उन्होनें कहा कि मुआवजा मुख्य मुद्दा है, जमीन के अधिग्रहण में। प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जायें ताकि पुनः बसने में किसी को तकलीफ न हो। फलदार वृक्षों का, घर का, घर में उपलब्ध सुविधाओं का मौके पर मुआवना करके मुआवजा दिया जायें। सर्वे भूमिधारी के समक्ष कराया जाकर उसकी एक प्रति भूमिधारी को दी जायें। गांव के सरपंचों को आम जनता की जानकारी के लिये दस्तावेज दिये जायें। उसे ग्राम पंचायतों में रखा जायें जिसे कोई भी उसे देख सके। मुआवजा देने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की जाये। उन्होनें कहा कि, कोड़ापार से डांडेसरा तक, कुरूद, भाटागांव, दरबा में जनसुनवाई के कैंप रखे जायें। मुआवजा रायपुर शहर के अनुसार दिया जायें। नवीन रायपुर में पर्याप्त जगह है, विस्थापितों को वहां जमीन उपलब्ध कराया जायें। उचित मुआवजा देने से ग्रामीण स्वतः जमीन देंगे। सड़क के किनारें फर्जी पट्टे दिये गये है, जिनकी जॉच कराकर कार्यवाही की जायें।

12 श्री नागेन्द्र गिरी गोस्वामी, ग्राम कुरूद ने कहा कि–कुरूद सिहावा चौक पर मेरा गोस्वामी रेस्टोरेंट है, लॉज है। जो चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही है। मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मेरी जमीन डायवर्टेड है, जिस समय डायवर्सन हुआ था, उस समय बताया जाना चाहिये था कि, मेरी जमीन अधिग्रहीत हो जायेगी। अतः सड़क के बाया तरफ चौड़ीकरण किया जाए। भूमि अधिग्रहण में अन्याय हो रहा है। सड़क के दोनो तरफ एक समान चौड़ीकरण हो जिससे लोगो के रोजगार के स्त्रोत प्रभावित न हो। विस्थापितों को नवीन रायपुर में जमीन/मकान उपलब्ध कराया जाए ।

13 श्री आनंद स्वरूप मेश्राम, ग्राम संबलपुर ने कहा कि–मैं लोक सुनवाई का विरोध करता हूॅ। पेपर में सूचना छपवाई गई। किसान खेत में काम करते है, पेपर नहीं नहीं पढ़ते। पर्यावरण सब के लिये है। संबलपुर में 108 व्यक्तियों की जमीन जा रही है। लेकिन हम आठ आदमी आये है। बिना किसी सूचना एवं नोटिस के सुनवाई की जा रही है। जिसके पास एक एकड़ जमीन है वे बाहर भी काम

करने जाते है, उन्हे कैसे पता चलेगा। हम जनसुनवाई का विरोध करते है। संबलपुर से बाईपास निकाला जा रहा है। ग्राम संबलपुर नगर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है। हमारे संबलपुर की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। रोड के दोनों तरफ बसाहट है। लोग बेघर हो जायेंगें। हम दूसरी बार अधिग्रहण के शिकार हो रहे है। गंगरेल बांध प्रकरण में आज तक मकान या ढंग से मुआवजा नहीं मिला है। गंगरेल बांध के आस–पास के जल में ऑयरन की मात्रा काफी अधिक है। ऐसा विकास नहीं चाहिये जिसमें 10 के विकास के लिए 5 का विनाश हो। संबलपुर में जो नहर है उसे पुरी तरह से खत्म किया जा रहा है, जिससे 500 एकड़ जमीन की फसल खराब हो जायेगी। इसलिये बाईपास संबलपुर से बाहर हो, नहीं तो किसान की जमीन पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी। बांई तरफ ज्यादा जमीन ली जा रही है, जबकि दांई तरफ सरकारी जमीन ज्यादा है, उसे नहीं लिया जा रहा है। यहॉ रोड सीधा करने वाली बात सही नहीं है।

14 श्री आदर्श कुमार चन्द्राकर, ग्राम भाटागांव ने कहा कि–प्रसतावित सड़क को एक तरफ 27.5 मीटर एवं एक तरफ 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इतनी पूरी जमीन पर निर्माण कार्य होना ही नहीं है। अतः जितनी जमीन में निर्माण कार्य होना है, उतनी जमीन ही अधिग्रहण की जाये। भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी सड़क सीधी नहीं हो रही है। प्रभावित व्यक्तियों को, किसानों को, व्यापारियों का नये रायपुर में जमीन उपलब्ध कराई जाये एवं उनके घर में कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसे सरकारी नौकरी दी जाये। विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

15 श्री चन्द्रशेखर साहू, ग्राम दरबा ने कहा कि–परियोजना का विरोध करते है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सही नहीं है। सही ढंग से विज्ञापन नहीं दिया गया। दुबारा सर्वे कराया जाए। इस सड़क का हम विरोध करते हैं, अभी एस.डी.एम. कार्यालय द्वारा दावा–आपत्ति नही ली जा रही है, जबकि पेपर में सूचना प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान मे 4 लैन की जरुरत नही है, इसलिए हम विरोध करते हैं। यह सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ है यह सर्वे कैंसल करें एवं नए सिरे से सर्वे होना चाहिए।

16 श्री गिरीधर कुमार गजेन्द्र, ग्राम संम्बलपुर ने कहा कि–मैं छोटा सा व्यापार करता हूं, व्यापार के अलावा और मेरे पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं है। जमीन अधिग्रहण के बाद मेरी जमीन चली जायेगी तो क्या सरकार हमारी जिम्मेदारी लेगी। 17 साल पुराने सर्वे के आधार पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है जो गलत है। हमारे यहां केनाल थी वह खत्म हो जाएगी, जिससे 500 एकड़ जमीन की सिंचाई नही होगी जिसके कारण खेती नहीं हो पायेगी। प्रस्तावित सड़क के एक तरफ 27.5 मीटर एवं दूसरी ओर 17.5 मीटर चौड़ीकरण न्याय संगत नही है। कुछ जनहित के लिये जन का अहित करके निर्माण कार्य न्याय संगत नही है।

17 श्री अम्बिका गुप्ता, ग्राम संम्बलपुर ने कहा कि–मेरी जमीन सुधीरचन्द्र के नाम से जा रही है। एक तरफ 27 मीटर एवं एक तरफ 17 मीटर जमीन ली जा रही है यह गलत है। एक तरफ के लोगों को फायदा एवं दूसरी तरफ के लोगों को नुकसान, जो अधिग्रहण किया जा रहा है इसकी अवश्यकता ही नही हैं इक्वलिटी

फॉर ऑल हमारे भारत की पॉलिसी है। फोर लेन का हऊआ खड़ा किया जा रहा है। अलग–अलग 2 लेन को बनाया जाए। वर्तमान में प्रस्तावित 4 लेन को रायपुर–धमतरी 2 लेन किया जाये तथा धमतरी–भखारा–रायपुर को 2 लेन में विकसित किया जाए, जिससे कम जमीन जायेगी। वर्तमान धमतरी विधायक एवं पूर्व विधायक श्री इन्दरचंद चोपड़ा दोनों ने कहा है कि लिमतरा फाटक से धमतरी बाईपास जाये, संबलपुर के बाहर से बाईपास निकालना चाहिये, जिससे लोगों का नुकसान कम होगा।

18 श्री मोहम्मद सादिक अली, ग्राम दरबा ने कहा कि–मेरे पास छोटी सी मनिहारी की दूकान है जिससे हमारा जीविकोपार्जन होता है। हमारी दुकान चली जायेगी तो हम क्या खाएंगे। हमको फुल मुआवजा चाहिए। हम सब सड़क के 2 लेन तथा 4 लेन चौड़ीकरण से असमंजस में है।

19 श्री गणेशराम साहू, ग्राम दरबा ने कहा कि–जितने लोग हैं सभी की मांग का सारांश यह है कि दोनों तरफ बराबर जमीन ली जाए, जिसकी जमीन जा रही है उसके बसने के लिए जमीन दें, प्रभावित परिवार के एक बेरोजगार लड़के को नौकरी दी जाए, हमारी जितनी जमीन जा रही है उसका मुआवजा 8 गुना क्या कम से कम 16 गुना मुआवजा दिया जाये, संसद में पास राशि से 16 गुना दिया जाए। मकान बनाने का समय दिया जाए तथा मुआवजा का पैसा पहले दिया जाये।

20 श्रीमति रजन देवी मंडावी, ग्राम मुजगहन ने कहा कि–सडक विकास में मेरा पूरा–पूरा घर प्रभावित हो गया है, मेरी जमीन का खसरा नं.–1402 है जिसमें छोटी दुकान, पक्का मकान, नल, बोर, आदि की व्यवस्था है, मैं रिटायर हो गई हूं, मेरे घर में आमदनी का कोई और जरिया तथा और जमीन नही हैं, मैं विधवा हूं। मुजगहन ग्राम नगर निगम सीमा के अंदर है, धमतरी से 3 किलोमीटर के अन्दर है। इस सर्वे को कैंसल करें एवं खाली जमीन से सड़क निकालें।

21 श्रीमति भोजबाई, ग्राम मुजगहन ने कहा कि–मेरे चार लड़के हैं, मेरे पास मकान के अलावा कुछ नहीं है, मेरा मकान तोड़ना चाहते हैं, मैं कहां जाऊंगी। मेरे घर में लड़के, नाती, सब मिलाकर 14 लोग होते हैं, मुझे मकान एवं उतनी जगह चाहिये।

22 श्री आदूराम साहू, ग्राम मुजगहन ने कहा कि–प्रस्तावित सड़क से मेरी भूमि एवं ट्यूबवेल प्रभावित हो रहा है। मुजगहन एवं धमतरी में जिसका घर जा रहा है उन्हें घर एवं पैसा पहले देना चाहिए। 27.5 और 17.5 का क्या भेद है, बतायें ? बी.एस.पी. ने प्रभावितों को नौकरी दी है। बाईपास दूर से निकाला जाना चाहिये, नहीं तो 10 साल बाद दूसरी रिंग रोड की जरुरत पड़ेगी। हम यह चाहते हैं कि विकास का कार्य हो, इसमें किसी न किसी की जमीन तो जायेगी, उसे उचित मुआवजा एवं प्रभावित परिवार के बेरोजगार लड़के को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दें। अगर विस्थापितों का कल्याण करेंगे तो वह आशीर्वाद देंगे।

23 श्री देवनारायण वैद, ग्राम लोहर्सी ने कहा कि–मेरी 2 एकड़ 7 डिसमिल जमीन रिंग रोड से प्रभावित हो रही है। शहर से कम से कम 10–15 किलोमीटर दूर

रोड बनना चाहिये, क्योंकि यह रोड जल्दी धमतरी शहर के अंदर आ जाएगी जिससे विकास नही विनाश होगा। 5 साल में केन्द्रीय विद्यालय एवं सर्किट हाउस भी बन जायेंगे। जमीन की कमी है, प्रभावित किसानों कि जमीन बच जायेगी। मुआवजा राशि वर्तमान रेट से 20 गुना ज्यादा मिलनी चाहिये एवं एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिये।

24 श्री दिनेश चंद्राकर, ग्राम संबलपुर ने कहा कि–बाईपास का निर्माण प्रस्तावित नगर निगम सीमा के बाहर हो, ताकि आबादी सुरक्षित रहे। बाईपास दूर से निकले जिससे आबादी प्रभावित ना हो एवं शहरी क्षेत्र का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा एवं धूल धूऑ कम होगा।

25 श्री प्रकाश श्रेष्ठी, ग्राम मुजगहन ने कहा कि–मेरी जमीन ख.न. 1400, 1396, 1399 प्रभावित हो रही है। एस.डी.एम. कार्यालय से नक्शा लिया था जिसमें ख.न. 1396 प्रभावित नही हो रहा था, लेकिन अभी बताया जा रहा कि ख.न. 1396 प्रभावित हो रहा है, पटवारी द्वारा बताया जा रहा है कि यह तुम्हारी जमीन नही है। मेरी जमीन में शौचालय एवं दूसरे जमीन में दो कॉम्पलेक्स हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है। हमें उचित मुआवजा दें एवं उचित कार्यवाही करें।

26 श्री शरद पंडया, ग्राम डंडेसरा कुरूद ने कहा कि–सर्वे में एक तरफ 27.5 मीटर एवं एक तरफ 17.5 मीटर बताया गया है, सर्वे किस हिसाब से किया जा रहा है। इस तरह डंडेसरा कि पूरी बस्ती उजड़ रही है, केवल दूसरी तरफ के तालाब बच जायेंगे। दोनो तरफ समान रुप से जमीन ली जाये एवं विकास किया जाये।

27 श्री राकेश देवांगन, ग्राम छाती ने कहा कि–हम छाती वासी विकास का विरोध नही करते हैं, बल्कि विकास का सर्पोट करते हैं, लेकिन जो व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिये सिंचाई विभाग की खाली जमीन में सरकार द्वारा या सिचाई विभाग द्वारा कॉम्पलेक्स बनाया जाकर प्रभावितों को विस्थापित किया जाये जिससे व्यापारियों को अवश्य ही लाभ होगा एवं 16 गुना मुआवजा दिया जाये, नहीं तो छाती के समस्त निवासी भू अर्जन का पुरजोर विरोध करेगें।

28 श्री विशंभर राम साहू, ग्राम कोडेबोर ने कहा कि–सर्वे में ख.न. 356 की जमीन है, उस भूमि पर मेरे समस्त परिवार का जीवन यापन चलता है। हमारे दो लड़के ग्रेजुएट हैं उनको नौकरी नही मिली, तो उसी जमीन पर मेरे बच्चे धंधा पानी करते हैं। हमारे यहां 18 सदस्य हैं, सारी जमीन 4 लेन में जा रही है, हमारी जमीन में 60–70 निजी झाड़, कुआं जा रहा है। धन्धा, मकान, दुकान, सब चौपट हो जायेगा। बच्चे बेरोजगार हो जायेगे। हम चाहते हैं कि दोनो तरफ समान रुप से लें एवं बच्चों को नौकरी दें। हम किससे अनुरोध करें और कहॉ जायें। हमारी बाड़ी पूरी हरी भरी दिख रही है। हम अपनी जमीन को 5 लाख रुपये खर्च कर गढ्ढा पाट कर रहने एवं खेती के लायक बनाये हैं, हमें कम से कम 50 गुना मुआवजा चाहिए। जमीन के हक के मुताबिक एवं मौका निरीक्षण के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाये।

29 श्री विकास राव, ग्राम छाती ने कहा कि–राजमार्ग प्राधिकरण जो बनाना चाहता है, बनाये। क्वालिटि में कॉम्प्रोमाईज न हो। अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार सड़क

निर्माण किया जाए, समझौता न हो। ऐसा बनाये कि एक बार बनाये तो 50 साल तक देखना ना पड़े। सबको भरपूर मुआवजा तुरंत दें। नये रोड पर टोलटेक्स न लगायें।

30 श्री पुरूषोत्तम चन्द्राकर, ग्राम कुरुद ने कहा कि–हम कलेक्टर साहब के पास गये थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोंगों से चर्चा कर के सुनवाई करवायेंगे। एक जनसुनवाई कुरुद में भी करायें।

31 श्री हीरालाल साहू, ग्राम पुरी ने कहा–एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम जमीन ली जा रही है। मेरी जमीन और ट्यूबवेल प्रभावित हो रहा है, रोड के दोनो तरफ बराबर जमीन लेंगे तो मेरा टूयूबवेल बच जायेगा।

32 श्री बलवन्त कुमार गायकवाड़, ग्राम तेलिनसत्ती ने कहा कि–रोड क्र. 43 से लगा हुआ 3 एकड़ का मेरा खेत है, सड़क मेरे खेत के बीचो–बीच से जा रही है। शहर से खेत नजदीक है खेत का मुआवजा 20 गुना दिया जाये एवं परिवार शिक्षित है जिसमें एक भाई को वेतन भोगी के रुप में नौकरी दिया जाये। 2 लेन एवं 4 लेन कितने फिट में बनना है, स्पष्ट करें।

श्री आर.के. टण्डन, अपर कलेक्टर, जिला धमतरी ने जनसमुदाय को अवगत कराया कि जो भी दावा, आपत्तियां आई हैं, उन्हें अक्षरशः हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे। मौखिक रुप से दिये गये सुझाव एवं लिखित में दी गई आपत्तियों को उसी रुप में भारत सरकार को भेजा जायेगा। आप लोगों की मांग एवं सुझाव के आधार पर सरकार मुआवजे का पैकेज, फेसीलिटी, रोजगार आदि की नीतियां बनाती है। उन्होने परियोजना के अधिकारी से चौड़ीकरण के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया।

एन.एच.ए.आई. के परियोजना निदेशक श्री एस.चौधरी ने कहा कि चौड़ीकरण के संबंध में जो मुद्दे रखे गये हैं उन पर विचार किया जायेगा, उन्होने यह भी बताया कि सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों की विस्तृत जानकारी वन विभाग को दे दी गई है।

तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक के परामर्शी मे0 आई.सी.टी. प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के कंसल्टेंट श्री अवनीश चन्द्रा ने बताया कि रूपये 16 करोड़ की राशि के मद के लेख में त्रुटि हुई है। वास्तव में सिविल कार्य की कुल लागत रूपये 273.10 करोड़ का 3 प्रतिशत रूपये 8.19 करोड़ आकस्मिक व्यय राशि है एवं 3 प्रतिशत रूपये 8.19 करोड़ पर्यवेक्षण की राशि है, इस प्रकार यह राशि रूपये 16.38 करोड़ होती है। परामर्शी शुल्क रूपये 3.40 करोड़ है। चौड़ीकरण में दाईं ओर और बाईं ओर की प्रस्तावित चौड़ाई का निर्धारण तकनीकि आधार पर किया गया है, जिससे कम से कम नुकसान हो। आपकी इससे संबंधित आपत्ति पर विचार किया जायेगा।

मे0 आई.सी.टी. प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के कंसल्टेंट श्री डी.के. सिंग ने बताया कि डिजाइन साईट कंडीशन के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम विस्थापन को ध्यान में रखकर चौड़ीकरण प्रस्तावित किया जाता है।

श्री शरद पंडया, ग्राम डंडेसरा कुरूद ने कहा कि–हम सभी की मांग है कि दोनो तरफ बराबर विस्तार लें।

श्री आर.के. टण्डन, अपर कलेक्टर, जिला धमतरी ने जनसमुदाय को अवगत

कराया कि आप सभी के मौखिक विचारों को लिखकर भेजा जायेगा। उन्होने कहा कि यह पर्यावरणीय जन सुनवाई है, इसके नियमों के अनुसार सर्वसंबंधितों को सूचना दी गई है। भू–अर्जन संबंधी सूचना प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को दी जायेगी। उन्होने कहा कि भूमि के संबंध में आप एस.डी.एम. के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन आपत्तियों को संबंधित व्यक्ति, शासन के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिनिधि तीनों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर निराकृत किया जावेगा। इस हेतु व्यक्तिशः नोटिस दिया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण भूमि की किस्म के आधार पर तथा मकान, पेड़–पौधे, ट्यूबवेल, कुआं तथा अन्य सुविधाओं का अलग–अलग मुआवजा निर्धारित किया जायेगा। उन्होने बताया कि राजमार्ग का उन्नयन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अतः इस परियोजना में निर्धारित मुआवजे के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा। उन्होने बताया कि एस.डी.एम. द्वारा गाईडलाईन के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जायेगी। मुआवजे की राशि का भुगतान एन.एच.ए. आई. के द्वारा शासन को किया जावेगा। सभी प्रभावितों को नियमों के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री आर.के. टण्डन, अपर कलेक्टर, जिला धमतरी ने कहा कि जनसुनवाई में आप लोगों ने पर्यावरणीय अनुमति दे दी है। आप लोगों ने मांग की है कि, सड़क के दोनों ओर बराबर चौड़ीकरण हो, हांलाकि चौड़ीकरण का निर्धारण मानकों के अनुसार तकनीकि जरूरत के आधार पर किया जाता है। फिर भी आपकी मांग को अभिलेखित किया गया है, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जायेगा। आपकी सभी बातों को लिखा गया है, जिसे भारत सरकार को भेजा जायेगा। कुरूद में जन सुनवाई कराये जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि नियम में जिलेवार लोक सुनवाई कराये जाने का प्रावधान है। आप सब लोगों द्वारा संन्तुलित एवं गरिमामय तरीके से जनहित मे सार्थक सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आज आप लोगों ने इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो सहयोग दिया और सुनवाई को सफल बनाया उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है। लोकसुनवाई के दौरान कुल 47 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

अपर कलेक्टर
धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)